

भाग - III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिये

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	जी हां।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	प्रकरण FP/MP/ROAD/51236/2020 में वन मंडलाधिकारी उत्तर पन्ना द्वारा भाग-2 दी गई अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग रीवा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव बमीठा-सतना एन.एच. 75 में प्रभावित वनभूमि रकवा 35.068 हे० वनक्षेत्र पर वन (संरक्षण) धिनियम, 1980 के तहत नियमानुसार प्रस्तावित मार्ग क्षेत्र में 03 स्थलों में वन्यप्राणी के आवागमन हेतु अण्डर पास निर्माण किये जाने की शर्त पर स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 16/2/2021

स्थान छतरपुर

(पी.पी. टिडारे)

मुख्य वन संरक्षक
छतरपुर वृत्त छतरपुर